



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 2016 ई0

चैत्र 11, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 108/XXXVI(3)/2016/16(1)/2016

देहरादून, 31 मार्च, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016” पर दिनांक 29 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 07 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 07 वर्ष, 2016)

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए—

अधिनियम

भारत गणराज्य के सदसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:—

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

धारा 2 का 2. उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008, (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की विद्यमान उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (नौ) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपखण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्—

2. परिभाषा(Definitions):

(1)(ख)(दस) कोई ट्रांसपोर्टर /कुरियर /परिदान अभिकर्ता/ अभिकर्ता/मालवाहक एवं कोई अन्य व्यक्ति (आयातकर्ता) जो राज्य के बाहर से अथवा देश के बाहर से राज्य के भीतर, ऑनलाईन क्रय अथवा ई-कॉमर्स के माध्यम से, कारबार के अन्यथा अथवा व्यक्तिगत प्रयोजनार्थ, स्वयं अथवा किसी अन्य के बदले ऐसा माल प्राप्त करने का इरादा रखता हो।

धारा 4-क का 3. "मूल अधिनियम" की विद्यमान धारा 4-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात्—

4-क. ई-कॉमर्स पर कर :

इस अधिनियम में किसी अन्य बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, कमिश्नर कर, विज्ञप्ति जारी कर, ऑनलाईन क्रय या ई-कॉमर्स द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में, विनिर्दिष्ट माल के प्रवेश पर कर संग्रहित करने की सरल प्रक्रिया तैयार करेंगे तथा इसके अन्तर्गत किसी ट्रांसपोर्टर/कुरियर

/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/मालवाहक एवं किसी अन्य व्यक्ति (आयातकर्ता) से राज्य के बाहर से अथवा देश के बाहर से राज्य के भीतर, कारबार के अन्यथा अथवा व्यक्तिगत प्रयोजनार्थ, जो स्वयं अथवा किसी अन्य के बदले ऐसा माल प्राप्त करने का इरादा रखता हो, प्रवेश कर के संग्रहण की प्रक्रिया भी विहित करेंगे तथा ऐसे ट्रांसपोर्टर/कुरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/मालवाहक एवं कोई अन्य व्यक्ति (आयातकर्ता) ऐसे माल के कुल मूल्य पर ऐसी दर एवं ऐसी रीति से जो विहित की जाय, प्रवेश कर के भुगतान के लिए दायी होंगे।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 108/XXXVI(3)/2016/16(1)/2016

Dated Dehradun, March 31, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of '**the Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Bill, 2016**' (Adhiniyam Sankhya 07 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29 March, 2016.

**THE UTTARAKHAND TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS
(AMENDMENT) ACT, 2016**

(Act No. 07 of 2016)

further to amend The Uttarakhand Tax On Entry Of Goods Into Local Areas Act, 2008 –

An
Act

(Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty Seventh year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement 1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Tax On Entry Of Goods Into Local Areas, (Amendment) Act, 2016.
(2) It shall come into force at once.

Amendment of Section 2 2. In Section 2 of the Uttarakhand Tax On Entry Of Goods Into Local Areas Act, 2008, (hereinafter referred to as the “Principal Act”, after existing sub-clause (ix) of clause (b) of sub-section (1) the following new sub-clause shall be added ; namely -

2. Definitions:-

·(1)(b)(x) A transporter/courier/delivery agent/agent/goods carrier and any other person (importer), who intends to bring such goods, whether on his own account or on behalf of any other person, into the State from outside the State or outside the Country, in connection otherwise of business or for personal use, through online purchase or e-commerce.

Amendment of Section 4-A 3. For the existing Section 4-A of the “Principal Act”, the following Section shall be substituted; namely-

4-A. Tax on e-commerce :

Notwithstanding anything contained in this act, the Commissioner of Taxes, with prior approval of the State

Government, may by notification formulate a simple procedure for the collection of entry tax on entry of specified goods into local area of State of Uttarakhand made through online purchase or e-commerce and such procedure may also provide for collection of entry tax from a transporter/ courier /delivery agent/ agent/ goods carrier and any other person (importer), who intends to bring such goods, whether on his own account or on behalf of any other person, into the State from outside the State or outside the Country, in connection otherwise of business or for personal use and such a transporter/ courier /delivery agent/ agent/ goods carrier and any other person (importer) shall be liable to pay entry tax on total value of such goods at such rate and in such manner, as may be prescribed thereunder.

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.

कारण एवं उद्देश्य

ई-कॉमर्स अथवा ऑनलाईन शॉपिंग के माध्यम से कई व्यापारिक कम्पनियाँ माल एवं सेवाओं का विक्रय कर रही है। विगत कई वर्षों में उपभोक्ताओं तथा अन्य कारोबारियों को ई-कॉमर्स के माध्यम से की जाने वाली बिक्री लगातार बढ़ रही है जिस कारण उत्तराखण्ड राज्य में भी ई-कॉमर्स कम्पनियों द्वारा बड़े पैमाने पर अपने व्यापार का विस्तार किया गया है। इस प्रकार के कारबार को कर दायरे में लाये जाने के उद्देश्य से, उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2015 लागू किया गया था। इसके अन्तर्गत ट्रांसपोर्टर/कुरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/मालवाहक एवं किसी अन्य व्यक्ति (आयातकर्ता) से परन्तु इस अधिनियम में ट्रांसपोर्टर/कुरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/मालवाहक एवं किसी अन्य व्यक्ति (आयातकर्ता) को "ब्यौहारी (Dealer)" के रूप में पारिभाषित नहीं किया गया था। इस हेतु धारा 2 में उपधारा (1) के खण्ड (ख) के बाद नया उपखण्ड (10) के रूप में "ब्यौहारी (Dealer)" को पारिभाषित किए जाने हेतु प्रस्तुत विधेयक में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

इसके अतिरिक्त ऑनलाईन शॉपिंग अथवा ई-कॉमर्स पर अधिरोपित प्रवेश कर की व्यवस्था को वैधानिक रूप से अधिक सुदृढ़ किए जाने के दृष्टिगत धारा 4-क में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डा० इन्दिरा हृदयेश,
वित्त मंत्री।